



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266346
CG-DL-E-24092025-266346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 618]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर 2025

सा.का.नि. 702(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, समूह 'क' (वैज्ञानिक और तकनीकी) पद, भर्ती नियम, 2017, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'क' (वैज्ञानिक और तकनीकी) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और तकनीकी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "नियंत्रण प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "योजना" से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तारीख 13 मार्च, 2024 को कार्यालय ज्ञापन एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर) जारी की गई पुनरीक्षित लचीली पूरक योजना अभिप्रेत है।

(घ) "वैज्ञानिक पद" से, योजना में परिभाषित किया गया पद अभिप्रेत है।

3. वेतन मैट्रिक्स में नाम, पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर. – (1) पदों के नाम और संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इससे उपाबद्ध रूप में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाएगा: –

क्र.सं.	पदों का नाम.	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'एफ'	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	04 (2025)*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए (131100-216600 रुपये)
2.	वैज्ञानिक 'ई'	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	03 (2025)*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये)।
3.	वैज्ञानिक 'डी'	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	19 (2025)*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये)
4.	वैज्ञानिक 'सी'	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	59 (2025)*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये)।
5.	वैज्ञानिक 'बी'	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	71 (2025)*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये)।

* कार्यभार पर भिन्नता के आधार पर।

टिप्पण - प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों को पहले फीडर ग्रेड में वैज्ञानिकों से भरा जाएगा जिन्हें योजना के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है। यदि योजना के अंतर्गत अगली ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए संस्तुत वैज्ञानिकों की संख्या प्रोन्नति ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो उस सीमा तक पदों की संख्या को शर्त के अध्यधीन स्वतः प्रोन्नति ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाए परंतु सभी ग्रेडों की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहेगी। नौकरी छोड़कर जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक अथवा तकनीकी श्रेणी के प्रवेश स्तर के ग्रेड पर ही रहेगी। तथापि, कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इनमें से कुछ रिक्तियों को समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की उच्च अर्हता और कौशल के साथ रिक्ति के स्तर और अनुरूप के आधार पर प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए इन नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकता है

4. भर्ती की पद्धति. – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, अर्हता और उससे संबंधित अन्य मामले निम्नानुसार होंगे: –

(1) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' के पद चयन पद होंगे।

(2) भर्ती के प्रयोजन से पदों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त होगी।

(3) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के प्रत्येक पद के लिए भर्ती की पद्धति समय-समय पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाएगी।

(4) वैज्ञानिक 'बी' के पदों की भर्ती के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी जैसा कि पहली अनुसूची के खंड क और इन नियमों में उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के खंड (ख) के उपखंड (ii) में अधिकथित प्रक्रिया के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

(5) वैज्ञानिकों 'सी', 'डी' और 'ई' के पदों की भर्ती के लिए भर्ती या तो योजना के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेसन पहली अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में और इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के खंड (बी) के उपखंड (ii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(6) वैज्ञानिक 'एफ' के पद की भर्ती के लिए भर्ती या तो योजना के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेसन पहली अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में और इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के खंड (ख) के उपखंड (i) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(7) वैज्ञानिक 'जी' के पद की भर्ती पर भर्ती योजना के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के माध्यम से की जाएगी।

(8) वैज्ञानिकों 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होंगे। वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपये) या उससे ऊपर के स्तर 14 में वेतन वाले पद पर नियुक्ति या प्रोन्नति के संदर्भ में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी आज्ञापक है।

(9) प्रत्येक पद के लिए या वैज्ञानिक बी के पद पर सीधी भर्ती के प्रत्येक मामले में और वैज्ञानिक सी, डी, ई और एफ के पदों पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के प्रत्येक मामले के लिए विशेष व्यवस्था या आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव का क्षेत्र विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशेष व्यवस्था में वैज्ञानिक की आगे की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा और विशेष अनुशासन को इन नियमों में संलग्न अनुसूची चौथी के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित विषयों की सूची से चुना जाएगा।

(10) पूर्व सैनिकों की भर्ती समय-समय पर केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार पुनः रोजगार के आधार पर की जा सकती है।

5. प्रोन्नति या उन्नयन (1) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन योजना के अधीन निर्दिष्ट के रूप में होगा।

(2) वैज्ञानिक 'जी' तक वैज्ञानिक 'सी' के ग्रेड में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन नीचे दर्शाई गई न्यूनतम कार्य निष्पादन अवधि और योजना में निर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुपालन के अनुसार होगा।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पद	कार्य निष्पादन से संबंधित न्यूनतम सेवा अवधि
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु. 56100-177500)	वैज्ञानिक बी	शून्य
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रुपये)	वैज्ञानिक सी	वैज्ञानिक 'बी' के रूप में तीन वर्ष
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200 रुपये)	वैज्ञानिक डी	वैज्ञानिक 'सी' के रूप में चार वर्ष

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (रु. 123100- 215900)	वैज्ञानिक ई	वैज्ञानिक 'डी' के रूप में चार वर्ष
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13क (रु. 131100-216600)	वैज्ञानिक एफ	वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पांच वर्ष
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रु. 144200- 218200)	वैज्ञानिक जी	वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में पांच वर्ष

(3) योजना के अधीन मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर-1 स्क्रीनिंग (आंतरिक स्क्रीनिंग समिति) और स्तर-2 स्क्रीनिंग (मूल्यांकन बोर्ड या विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति), जैसा कि तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(4) निर्धारण एक वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों के मामले जिन्होंने यथास्थिति निर्धारण की कट-ऑफ तारीखों अर्थात् 1 जनवरी या 1 जुलाई के अनुसार न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, और अर्जित किया है या वार्षिक 1 की संख्या अर्जित करेंगे निर्धारण की कट ऑफ तारीखों से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक प्रदर्शन निर्धारण रिपोर्ट पर योजना के अधीन निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

(5) जो वैज्ञानिक लेवल-1 स्क्रीनिंग अथवा लेवल-2 स्क्रीनिंग में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका निर्धारण केवल एक वर्ष के बाद किया जाएगा जब उन्हें कम से कम एक और वार्षिक निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट तथा वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्राप्त होगी और ऐसे पुनर्निर्धारण के लिए पुनः स्तर-1 और स्तर-2 की जांच की जाएगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी जहां वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे।

(6) अगली ग्रेड में प्रोन्नति अथवा उन्नयन के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारण प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी और तत्पश्चात् वैज्ञानिकों को यथा लागू संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना द्वारा योजना में किए गए उपबंध के अनुसार अगली कक्षा के लिए विचार किया जा सकता है।

(7) प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा की अवधि को योजना के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए नहीं गिना जाएगा। विशेष रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों को योजना के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

(8) योजना के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अनुशंसित वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को मंजूरी दी थी। संगठन के बाहर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल संवर्ग में पुनः शामिल होने या लौटने की तारीख से ही प्रोन्नति या उन्नयन दिया जाएगा।

(9) कोई पूर्वव्यापी प्रोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।

(10) अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव, वैज्ञानिक 'एफ' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए कम से कम दो वर्ष और वैज्ञानिक 'जी' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

(11) छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर बिताए गए समय का न्यूनतम निवास अवधि की गणना के लिए उपचार योजना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(12) इन नियमों में उल्लिखित कुछ भी योजना के उपबंधों द्वारा शासित नहीं होगा।

6. वार्षिक कार्यनिष्पादन और मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट। वैज्ञानिक वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को वार्षिक आधार पर आजापक रूप से योजना में प्रदान किए गए प्रारूप में भरा जाएगा।

7. परिवीक्षा (1) सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'ख' और 'ग' श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'डी', 'ई' और 'एफ' के ग्रेड में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक वर्ष होगी:

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है:

परंतु परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए किसी विनिश्चय पिछले परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद आठ सप्ताह के भीतर सामान्य रूप से लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, वैज्ञानिक को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी की गई नियुक्ति में रखा जाएगा और इसकी उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरुद्ध पुष्टि की जाएगी।

(3) परिवीक्षा अवधि अथवा उसके किसी विस्तार के दौरान, यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार वैज्ञानिक को सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान, या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और निर्देशों के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना और परीक्षाओं और परीक्षणों (हिंदी में परीक्षा सहित) को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि सरकार परिवीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में उचित समझे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्यों को इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

8. पुष्टीकरण.- सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक पदों की पुष्टि विभागीय संपुष्टि समिति की संस्तुति पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-

(क) अध्यक्ष - सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;

(ख) सदस्यों - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दो वैज्ञानिक 'जी', और

(ग) प्रमुख (कार्मिक प्रभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

9. निर्हरता - कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंधित है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसने, एक पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार मान्य करती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकेगी।

10. भारत और बाहर सेवा करने के लिए अधिकारियों की देयता. (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत में और बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी इस तरह के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए उत्तरदायी होंगे और भारत या विदेश में शिक्षा के पाठ्यक्रमों पर विस्तृत होंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर तय कर सकती है और प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत अधिकारी, जिसकी अवधि छह महीने या उससे अधिक है या भारत के बाहर या भारत में निजी फर्मों या कारखानों के साथ प्रशिक्षण के लिए विस्तृत अधिकारी, प्रशिक्षण की अवधि के सिवाए, प्रशिक्षण की पूरी लागत में वापसी के लिए उत्तरदायी होगा, यदि, किसी भी कारण से, प्रशिक्षण के दौरान, या इस तरह के प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर, वह अपनी सेवा को बंद करने का विकल्प चुनता है।

11. प्रशिक्षण. - सीधी भर्ती के आधार पर इन नियमों के अधीन नियुक्त एक अधिकारी अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा और किसी भी अधिकारी को इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किए बिना उसकी परीक्षा अवधि के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

12. शिथिल करने की शक्ति. - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना अपेक्षित या समीचीन है वहाँ वह, आदेश द्वारा और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, इन नियमों के उपबंधों में से किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में छूट दे सकेगी।

13. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायते प्रभाव नहीं डालेगी।

पहली अनुसूची

[नियम 4(3) और नियम 4(5) देखें]

अ. सीधी भर्ती

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) आवश्यक:

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चौथी अनुसूची के खंड 'क' में विनिर्दिष्ट भौतिक या रासायनिक या गणितीय या कम्प्यूटेशनल और सूचना में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम) जैसा चौथी अनुसूची के खंड (ख) में निर्दिष्ट है;

(ख) वांछनीय:

चौथी अनुसूची के खंड (अ) में निर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री।

(2) अनुभव:

क्रम सं.	पदों का नाम.	भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	----
2.	वैज्ञानिक 'सी'	औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान एवं विकास में चार वर्षों का अनुभव।
3.	वैज्ञानिक 'डी'	औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान एवं विकास में आठ वर्षों का अनुभव।
4.	वैज्ञानिक 'ई'	औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान एवं विकास में बारह वर्षों का अनुभव।
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	(i) औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान एवं विकास में अठारह वर्षों का अनुभव। (ii) विज्ञान की किसी भी शाखा के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रमों को विकसित करने, प्रबंधित करने और निर्देशित करने का पांच वर्षों का अनुभव। (iii) उच्च स्तर का प्रकाशित शोध कार्य।

टिप्पण- न्यूनतम आवश्यक अर्हता प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि को अनुभव में नहीं गिना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (शैक्षणिक अर्हता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी करने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिनी जाएगी। तथापि, पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) या डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के मामलों में अनुभव केवल रोजगार अवधि के लिए गिना जाएगा डॉक्टरेट की डिग्री के लिए नहीं।

(3) आयु सीमा. - प्रत्येक श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

क्रम सं.	पद का नाम	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)
(i)	वैज्ञानिक 'बी'	30 वर्ष से अधिक नहीं
(ii)	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष से अधिक नहीं

(iii)	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष से अधिक नहीं
(iv)	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष से अधिक नहीं
(v)	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष से अधिक नहीं:

परंतु -

(i) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पहले से ही नियमित आधार पर कार्यरत वैज्ञानिकों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार में समय-समय पर मौजूदा नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी;

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, अस्थि विकलांगों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम आयु-सीमा इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी;

(iii) केन्द्रीय सरकार विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभवी अभ्यर्थियों के मामले में सभी श्रेणियों के पदों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट दे सकेगी;

(iv) आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)।

आ. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेसन. - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेसन के माध्यम से नियुक्ति के मामले में, जिन पदों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेसन किया जाना है, वे निम्नलिखित होंगे:

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्।

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित रूप से समकक्ष पद पर कार्यरत हो; या

(ii) विशिष्ट पद के समक्ष उल्लिखित नियमित आधार पर पद पर अपेक्षित अनुभव हो: -

क्रम सं.	पदों का नाम	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'सी'	तीन वर्ष 'वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये) या समकक्ष में स्तर-10 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद की गई सेवा।
2.	वैज्ञानिक 'डी'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में स्तर -11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद की गई चार वर्ष की सेवा।
3.	वैज्ञानिक 'ई'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपये) या समकक्ष में स्तर -12 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद की गई चार वर्ष की सेवा।

4.	वैज्ञानिक 'एफ'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपये) या समकक्ष में स्तर -13 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा।
----	----------------	---

(iii) इस अनुसूची के खंड 'अ' में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना;

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- फीडर श्रेणी के विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, इस योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अभ्यर्थी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दूसरी अनुसूची

स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया (सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए)

अ. स्क्रीनिंग समिति. - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए स्क्रीनिंग समिति इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और केवल चयनित अभ्यर्थी ही अगले स्तर की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

आ. विभागीय चयन समिति - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए विभागीय चयन समिति और इसकी संरचना निम्नानुसार होगी: -

(i) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर भर्ती के लिए:

1.	भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक एच या समकक्ष।	अध्यक्ष;
2.	उद्योग से वैज्ञानिक 'जी' या समकक्ष।	सदस्य;
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थान से प्रतिनिधि, जो वेतन मैट्रिक्स (रु144200-218200) में स्तर-14 से नीचे न हो।	सदस्य;
4.	भारत सरकार के अधीन किसी अन्य वैज्ञानिक संगठन या विभाग से वैज्ञानिक 'जी'	सदस्य;

	स्तर या समकक्ष स्तर का एक सदस्य।	
5.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वैज्ञानिक 'जी' या समकक्ष स्तर का एक सदस्य	सदस्य।

(ii) वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'ई' के पद पर भर्ती के लिए:

1.	भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक जी या समकक्ष	अध्यक्ष;
2.	उद्योग से वैज्ञानिक 'जी' या समकक्ष।	सदस्य;
3.	प्रतिनिधि शैक्षणिक संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक तकनीकी विश्वविद्यालय से वेतन मैट्रिक्स (रु144200-218200) में स्तर -14 से नीचे न हो।	सदस्य;
4.	भारत सरकार के अधीन किसी वैज्ञानिक संगठन या विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या समकक्ष स्तर का एक सदस्य।	सदस्य;
5.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से वैज्ञानिक 'एफ' या समकक्ष स्तर का एक सदस्य।	सदस्य।

तीसरी अनुसूची

[नियम 5(3) देखें]

योजना के अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया:

1. स्तर-1 स्क्रीनिंग समिति: -

1.1 आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी' के पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) : -

1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 से नीचे का न हो।	अध्यक्ष;
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए या उससे ऊपर का वैज्ञानिक।	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से	सदस्य।

	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए से नीचे का वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए।	
--	---	--

1.2 आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की संरचना वैज्ञानिक 'ई' से लेकर वैज्ञानिक 'जी' पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार हेतु: (-

1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 या उससे ऊपर का अधिकारी।	अध्यक्ष;
2.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 या उससे ऊपर का अधिकारी।	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 या उससे ऊपर का वैज्ञानिक।	सदस्य।

टिप्पण 1. - उपरोक्त शीर्षक 1.1 और 1.2 के अंतर्गत क्रम संख्या 1 और 2 के अध्यक्ष और सदस्य को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा।

टिप्पण 2: अध्यक्ष और सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर उन्नयन या प्रोन्नति की जानी है।

2. स्तर-2 स्क्रीनिंग:

2.1 मूल्यांकन बोर्ड की संरचना (अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी के अतिरिक्त वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'ई' तक पदोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु): -

1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बाहर के वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 से नीचे का अधिकारी नहीं हो।	अध्यक्ष;
2.	तीन बाहरी विशेषज्ञ।	सदस्यगण।

टिप्पण 1.- उपरोक्त क्रम संख्या 2 के सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

टिप्पण 2.- मूल्यांकन बोर्ड की कार्यवाही से किसी सदस्य की अनुपस्थिति उक्त बोर्ड की सिफारिशों को अमान्य नहीं करेगी।

टिप्पण 3.- मूल्यांकन बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन व्यक्तियों की होगी।

2.2 विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति की संरचना (योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु):

1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके संगठनों से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 का एक अधिकारी।	अध्यक्ष;
2.	वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के अलावा अन्य विभागों से वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 के दो अधिकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।	सदस्य;
3.	भारत सरकार के अधीन विभाग के वैज्ञानिक संगठन के दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।	सदस्य;
4.	संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग।	सदस्य।

टिप्पण 1.- उपरोक्त क्रम संख्या 1 के अध्यक्ष को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा।

टिप्पण 2. - उपरोक्त क्रम संख्या 3 के सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

2.3 विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति की संरचना (योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पदोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु) -

1.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अध्यक्ष;
2.	वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों से दो सचिव या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य;
3.	भारत सरकार के अधीन विभाग के वैज्ञानिक संगठन के दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।	सदस्य;
4.	अतिरिक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य।

टिप्पण 1.- उपरोक्त क्रम संख्या 3 के सदस्य उस पद से एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

चौथी अनुसूची

[नियम 4(9) और प्रथम अनुसूची देखें]

अविज्ञान अनुशासन और उससे संबंधित विषय ..:

क्रम सं.	अनुशासन	विषय
----------	---------	------

1.	भौतिक विज्ञान	भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार, रेडियो भौतिकी, रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी, सामग्री विज्ञान, सिरेमिक इंजीनियरिंग, नैनो सामग्री, नैनो विज्ञान, इंजीनियरिंग भौतिकी, कम्प्यूटेशनल भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री, नैनो प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल संचार, विद्युत, यांत्रिक, सिविल, उत्पादन, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण, पावर इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण डिजाइन, सेमीकंडक्टर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी, एम्बेडेड सिस्टम और प्रौद्योगिकी, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिकी, माइक्रोवेव और ऑप्टिकल संचार, मेक्ट्रॉनिक्स। अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'भौतिकी' का उल्लेख हो।
2.	रासायनिक विज्ञान	रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान। अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'रसायन विज्ञान' का उल्लेख हो।
3.	गणितीय विज्ञान	गणित, अनुप्रयुक्त गणित, परिचालन अनुसंधान, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, गणित और कंप्यूटिंग, गणितीय विज्ञान। अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'गणित' का उल्लेख हो।
4.	कम्प्यूटेशनल और सूचना विज्ञान	कंप्यूटर विज्ञान, संचार, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, कंप्यूटर एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, सूचना विज्ञान, सूचना प्रणाली, सूचना सुरक्षा, कंप्यूटर प्रबंधन, साइबर कानून, जैव सूचना विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, सूचना विज्ञान, कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल संचार, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान, साइबर कानून और सूचना सुरक्षा, उन्नत नेटवर्क, कम्प्यूटेशनल विज्ञान, डेटा विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटेशनल सांख्यिकी, सूचना विज्ञान, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, क्रिप्टोग्राफी। अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'कम्प्यूटेशनल और/या सूचना' का उल्लेख हो।

आ. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय और उसके अंतर्गत विषय:

क्रम सं.	अनुशासन	विषयों
1.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल, सिविल, उत्पादन, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिकी और नियंत्रण, नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, टेलीमैटिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विज्ञान, सेमीकंडक्टर, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी, मेक्ट्रोनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान, सामग्री विज्ञान, सिरेमिक इंजीनियरिंग, नैनो सामग्री और डेटा विज्ञान, अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें उपरोक्त में से किसी को मुख्य विषय के रूप में उल्लेख किया गया हो।

[सं. 01(02)/2025-का.।।।]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

G.S.R. 702(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology, Group 'A' (Scientific and Technical) Posts, Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' (Scientific and Technical) posts in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely : —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Scientific and Technical, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "controlling authority" means the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) "schedule" means a Schedule appended to these rules;

(c) "scheme" means the Revised Flexible Complementing Scheme as issued by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB-14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024; and

(d) "scientific post" means a post as defined in the Scheme.

3. Name, number of posts, classification and level in pay matrix. – (1) The name and number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified as under : –

Sl. No.	Name of posts.	Classification.	Number of posts.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'F'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	04 (2025)*	Level 13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600).
2.	Scientist 'E'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	03 (2025)*	Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).
3.	Scientist 'D'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	19 (2025)*	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).
4.	Scientist 'C'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	59 (2025)*	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).
5.	Scientist 'B'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	71 (2025)*	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

* Subject to variation dependent on workload.

Note. – The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category. However, based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Method of recruitment. – The method of recruitment to the said posts, qualifications and other matters relating thereto shall be as under: –

(1) The posts of Scientists 'B' to Scientist 'G' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment.

(3) Method of recruitment for each post of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' shall be decided by the controlling authority from time to time.

(4) Recruitment for the posts of Scientist 'B' shall be made by direct recruitment as specified under clause A of First Schedule and as per the procedure laid down at sub-clause (ii) of clause (B) of Second Schedule appended to these rules.

(5) Recruitment for the posts of Scientists 'C', 'D', and 'E' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short-term

contract)/absorption as specified in First Schedule and as per the procedure laid down at sub-clause (ii) of clause (B) of Second Schedule appended to these rules.

(6) Recruitment for the post of Scientists 'F' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short-term contract)/absorption as specified in First Schedule and as per the procedure laid down at sub-clause (i) of clause (B) of Second Schedule appended to these rules.

(7) Recruitment to the post of Scientist 'G' shall be made through promotion or upgradation under the Scheme.

(8) In the case of Scientists 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G', the appointing authority will be Minister-in-Charge. The approval of Appointment Committee of Cabinet is mandatory in case of appointment or promotion to the post carrying pay in level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200) or above.

(9) Particular discipline or field of essential educational qualifications and experience for each post or in each case of direct recruitment to the post of Scientist B and in each case of direct recruitment or deputation (including short-term contract) to the posts of Scientists C, D, E and F shall be decided by the controlling authority, keeping in view of the availability of Scientists of different disciplines and further requirement of Scientist in a particular discipline and the particular discipline shall be chosen from the list of disciplines mentioned in clause (A) and clause (B) of Schedule Fourth appended to these rules.

(10) Ex-serviceman may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders by the Central Government from time to time.

5. Promotion or upgradation. – (1) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' to Scientist 'G' shall be as specified under the Scheme.

(2) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' to Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and compliance with other provisions specified in the Scheme.

Level in pay matrix.	Designation.	Minimum residency period linked to performance.
Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Scientist B	Nil
Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Scientist C	Three years as Scientist 'B'
Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Scientist D	Four years as Scientist 'C'
Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Scientist E	Four years as Scientist 'D'
Level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600)	Scientist F	Five years as Scientist 'E'
Level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Scientist G	Five years as Scientist 'F'

(3) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, Level-1 Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review

Committee), as specified in Third Schedule.

(4) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz., 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(5) Scientist who does not qualify either in Level-1 Screening or Level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re-assessment would again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(6) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under the Modified Assured Career Progression guidelines as applicable to the Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under the Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

(7) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme. The Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme.

(8) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority approved the promotion or upgradation. The officers on leave or deputation outside the organisation shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(9) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(10) The field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of atleast two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(11) Treatment of period of leave, period spent on deputation or Foreign Service etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

(12) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

6. Annual Performance and Appraisal Reports and Annual Work Reports. – The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

7. Probation. – (1) The period of probation for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B', and Scientist 'C' by direct recruitment shall be two years and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D', 'E' and 'F' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) During the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may

discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

8. Confirmation. – Confirmation of scientific posts appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee, the composition of which shall be as follows : –

- (a) Chairman - Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology;
- (b) Members - Two Scientists 'G' from the Ministry of Electronics and Information Technology, and
- (c) Head (Personnel Division), the Ministry of Electronics and Information Technology.

9. Disqualification. – No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Liability of officers to serve in India and outside. – (1) Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.

(2) Officers appointed under these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time and an officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training, or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

11. Training. – An officer appointed under these rules on direct recruitment basis shall compulsorily undergo training programme for a period specified by the Ministry of Electronics and Information Technology and no officer shall be cleared for his probation period without completing such training programme.

12. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FIRST SCHEDULE
[See rule 4(3) and rule 4(5)]

A. Direct recruitment

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits

(a) Essential:

Master's degree in Physical or Chemical or Mathematical or Computational and Information as specified in clause A of Fourth Schedule from a recognised University or Institute; or

Bachelor's degree in Engineering or Technology (minimum four year degree course) as specified in clause (B) of Fourth Schedule from a recognised University or Institute;

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in clause (A) of Fourth Schedule.

(2) Experience:

Sl. No.	Name of posts.	Minimum relevant experience required for recruitment.
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'B'	----
2.	Scientist 'C'	Four years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
3.	Scientist 'D'	Eight years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
4.	Scientist 'E'	Twelve years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
5.	Scientist 'F'	(i) Eighteen years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both. (ii) Five years' experience of evolving, managing and directing major Programmes under any branch of sciences. (iii) Published research work of high standard.

Note. – The period spent on obtaining minimum essential qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of educational qualification) from a recognised University or Institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the doctorate degree and subject a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) or more than two years during the same period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(3) Age limit. – The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as under : –

Sl. No.	Name of the post.	Age-limit.
(1)	(2)	(3)
(i)	Scientist 'B'	not exceeding 30 years

(ii)	Scientist 'C'	not exceeding 35 years
(iii)	Scientist 'D'	not exceeding 40 years
(iv)	Scientist 'E'	not exceeding 45 years
(v)	Scientist 'F'	not exceeding 50 years:

Provided that -

(i) there shall be age relaxation in respect of the Scientists already working on regular basis in the Ministry of Electronics and Information Technology as per the extant rules in vogue from time to time in the Central Government;

(ii) the upper age-limit in respect of the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes, Orthopedically Handicapped and other special categories of persons shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard;

(iii) the Central Government may relax the upper age-limit for all categories of posts in case of highly experienced candidates in specialised scientific areas;

(iv) the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in non-remote areas of India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

B. Deputation (including short-term contract) / absorption. – In case of recruitment by deputation (including short-term contract)/absorption, grades from which the deputation (including short-term contract)/absorption to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories or autonomous body or statutory organisations, recognised Universities or recognised research institutions, –

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) having the experience required in the post on regular basis as stated against the specific post : –

Sl. No.	Name of posts.	Minimum relevant experience required for recruitment by deputation.
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'C'	Three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the present cadre or department.
2.	Scientist 'D'	Four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the present cadre or department.
3.	Scientist 'E'	Four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the present cadre or department.
4.	Scientist 'F'	Five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the present cadre or department.

(iii) possessing the educational qualifications and experience as specified for Direct Recruits in clause A of this Schedule;

Note 1. – The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. – The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation under the scheme. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3. – The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

SECOND SCHEDULE

Screening and Selection Process (For Direct Recruits and Deputation (including short-term contract)/absorption)

A. Screening Committee. – The Screening Committee for direct recruitment or deputation or absorption (including short-term contract) shall consist of a Chairman and two Members who shall be nominated by the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology shall be the competent authority to accept the recommendations of the Screening Committee and only the screened-in candidates shall be eligible for the next level of recruitment.

B. Departmental Selection Committee. – The departmental selection committee for direct recruitment or deputation or absorption (including short-term contract) and its composition shall be as under : –

(i) For recruitment to the post of Scientist 'F':

1.	Scientist H or equivalent from the Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific University.	Chairman;
2.	Scientist 'G' or equivalent from Industry.	Member;
3.	Representative from Academic Institution of the Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical University not below the Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Member;
4.	One Member of the level of Scientist 'G' or equivalent from other Scientific Organisation or Department under the Government of India.	Member;
5.	One Member of the level of Scientist 'G' or equivalent from the Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate.	Member.

(ii) For recruitment to the post of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E':

1.	Scientist G or equivalent from the Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific University.	Chairman;
2.	Scientist 'G' or equivalent from Industry.	Member;
3.	Representative from the Academic Institution Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical	Member;

	University not below the Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	
4.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from any Scientific Organisation or Department under the Government of India.	Member;
5.	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from the Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate.	Member.

THIRD SCHEDULE

[See rule 5(3)]

Assessment process under the Scheme:

1. Level-1 Screening Committee : –

1.1 Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the posts of Scientist 'C' and Scientist 'D') : –

1.	A senior scientist not below the Level 14 in the pay matrix from the Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson;
2.	A scientist of Level 13 A or above in the pay matrix from the Ministry of Electronics and Information Technology.	Member;
3.	A scientist not below the Level 13 A in the pay matrix from the Department of Atomic Energy, Department of Space or Defence Research Development Organisation.	Member.

1.2 Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'E' upto Scientist 'G') : –

1.	An officer of Level 14 or above in the pay matrix from the Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson;
2.	An officer of Level 14 or above in the pay matrix from the Ministry of Electronics and Information Technology.	Member;
3.	A scientist of Level 14 or above in the pay matrix from the Department of Atomic Energy, Department of Space or Defence Research Development Organisation.	Member.

Note 1. – Chairperson and Member at Sl. No. 1 and 2 under the heading 1.1 and 1.2 above shall be nominated by Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology

Note 2: The Chairperson and Members shall be one level above the post to which the upgradation or promotion is to be done.

2. Level-2 Screening:

2.1 Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'C' upto Scientist 'E' otherwise than under Exceptionally Meritorious Category) : –

1.	An officer not below the Level 14 in the pay matrix from the Scientific Ministries or Departments outside the Ministry of Electronics and Information Technology.	Chairperson;
2.	Three external experts.	Members.

Note 1. – The Members at Sl. No. 2 above shall be one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

Note 2. – Absence of any member from the proceedings of the Assessment Board shall not invalidate the recommendations of the said Board.

Note 3. – The quorum for any meeting of the Assessment Board shall be three including the Chairperson.

2.2. Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'F'):

1.	An officer of Level 15 in the pay matrix from the Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations.	Chairperson;
2.	Two officers of Level 14 in the pay matrix from the Scientific Ministries or Departments other than the Ministry of Electronics and Information Technology.	Members;
3.	Two eminent Scientists from the Scientific Organisation of Department under the Government of India, specialising in the field of scientific activities.	Members;
4.	Joint Secretary, Department of Personnel and Training.	Member.

Note 1.—The chairperson at Sl. No. 1 above shall be nominated by the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

Note 2.— The members at Sl. No. 3 above shall be one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

2.3 Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'G') : –

1.	Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology	Chairperson;
2.	Two Secretaries from the Scientific Ministries or Departments or their representatives other than the Ministry of Electronics and Information Technology.	Members;
3.	Two eminent Scientists from the Scientific Organisation of Department under the Government of India, specialising in the field of scientific activities.	Members;
4.	Additional Secretary, Department of Personnel and Training	Member.

Note 1.— The members at Sl. No. 3 above shall be one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

FOURTH SCHEDULE
[See rule 4(9) and First Schedule]

A. Science disciplines and subjects thereunder:

Sl. No.	Discipline	Subjects
1.	Physical Sciences	Physics, Applied Physics, Electronics, Applied Electronics, Electronics Science, Electronics and Communication, Radio Physics, Radio Physics and Electronics, Materials Science, Ceramic Engineering, Nano Materials, Nanoscience, Engineering Physics, Computational Physics, Solid State Physics, Solid State Electronics Material, nanotechnology, Optical Communication, Electrical, Mechanical, Civil, Production, Industrial Electronics, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Instrumentation and Control, Power Electronics, Telecommunication, Very Large Scale Integration Design, Semiconductor, Microelectronics, Embedded System and Technology, Microwave and Electronics, Microwave and Optical Communication, Mechatronics. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Physics' as the main discipline.
2.	Chemical Sciences	Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Physical Chemistry, Chemical Sciences, Applied Chemistry, Chemical Engineering, Metallurgy. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Chemistry' as the main discipline.
3.	Mathematical Sciences	Mathematics, Applied Mathematics, Operations Research, Total Quality Management, Mathematics and Computing, Mathematical Sciences. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Mathematics' as the main discipline.
4.	Computational and Information Sciences	Computer Science, Communication, Computer and Networking Security, Computer Application, Software System, Software Engineering, Information Technology, Information Technology Management, Informatics, Information System, Information Security, Computer Management, Cyber Law, Bioinformatics, Remote sensing, Information Science, Computational Linguistics Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Signal Processing, Digital Communication, Computer and Information Science, Cyber Law and Information Security, Advanced Network, Computational Science, Data Science, Statistics, Computational Statistics, Information Science, Applied Statistics, Cryptography. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Computational and/or Information' as the main discipline.

B. Engineering/ Technology disciplines and subjects thereunder:

Sl. No.	Discipline	Subjects
1.	Engineering/ Technology	Electronics, Electronics Science, Computer Science, Computer Engineering, Software Systems, Information Technology, Software Technology, Electronics and Communication, Electronics and Telecommunication, Electrical and Electronics, Electrical, Telecommunication and Information Technology, Mechanical, Civil,

		Production, Industrial Biotechnology, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Electronics and Computer Engineering, Instrumentation and Control, Electronics and Control, Control Systems, Power Electronics, Telecommunication, Telematics, Industrial Electronics, Very Large Scale Integration Design, Artificial Intelligence, Data Science, Semiconductor, Information Security, Cyber Security, Microelectronics, Mechatronics, Chemical Engineering, Metallurgy, Material Sciences, Ceramic Engineering, Nano Materials and Data Sciences, Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions any of the above as the main discipline.
--	--	--

[F. No. 01(02)/2025-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.